छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवंबर, 2019

(अग्रहायण 8, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 02, 04 से 06, 08, 11 से 17 तक (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 03, 07, 09, 10, के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, कुलदीप जुनेजा, बृजमोहन अग्रवाल एवं देवेन्द्र यादव अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरूण वोरा के स्थान पर श्री धनेन्द्र साहू अधिकृत थे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2017-2018 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त दिनांक 31 मार्च, 2018 को

समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-1),

(3) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम,1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-20/2016/18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017,

(4) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 5062/1405/18/2010, दिनांक 24 सितंबर, 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम, 2010,

(5) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ नगरपालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018, तथा

(6) श्री उमेश पटेल,तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम,2004(क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018

पटल पर रखे।

3. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा जुलाई, 2019 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से सभी 7 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-2 के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चन्देल, सदस्य ने प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने खैरागढ़ नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत जल आवर्धन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर शहर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य-सूची के पदक्रम 6 (3) का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
5.	श्री धर्मजीत सिंह
6.	श्री सत्यनारायण शर्मा
7.	श्री सौरभ सिंह
8.	सर्वश्री धनेन्द्र साहू, लालजीत सिंह राठिया
9.	श्री सौरभ सिंह
10.	श्री सौरभ सिंह
11.	श्री धर्मजीत सिंह

12. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा
13. श्री धर्मजीत सिंह
18. श्री संतराम नेताम
19. श्री धर्मजीत सिंह
20. श्री सौरभ सिंह
22. श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर
23. श्री देवव्रत सिंह
24. श्री सौरभ सिंह

7. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री धर्मजीत सिंह
(4) श्री लालजीत सिंह राठिया
(5) श्री संतराम नेताम
(6) श्री देवव्रत सिंह
(7) श्री लखेश्वर बघेल
(8) श्री रामपुकार सिंह
(9) श्री यू.डी. मिंज
(10) श्री शिवरतन शर्मा

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(2) सुश्री शकुन्तला साहू

(3) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर

(4) श्री कुंवर सिंह निषाद

(5) श्री सौरभ सिंह

(6) श्री बघेल लखेश्वर

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019)

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(3) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

	समय
(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019)	1 घंटा
(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019)	30 मिनट
(3) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019)	1 घंटा

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(01.42 बजे से 03.02 बजे तक अन्तराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के तहत आज की बैठक के अंतिम ढ़ाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निर्धारित है । कार्य-सूची के पद 6(7) का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्वाव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्वाव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, विकास उपाध्याय, नारायण चंदेल, देवेन्द्र यादव

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे,संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्वाव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(7) छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ की जावे।"

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सौरभ सिंह, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह, सर्वश्री नारायण चंदेल, रजनीश कुमार सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, शैलेष पाण्डेय,रामकुमार यादव, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, बृजमोहन अग्रवाल,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

12. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन मैंने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 का दिन नियत किया है ।

तद्नुसार उपाध्यक्ष के पद निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचनाएं रविवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक प्रमुख सचिव, विधान सभा को दी जा सकती है ।

माननीय सदस्य उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को घोषणा के पश्चात् से तथा रविवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 को प्रस्ताव की सूचना दिये जाने हेतु निर्धारित समय के पूर्व तक प्राप्त कर सकते हैं ।

13. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

2. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी, झगराखांड, लेदरी, खोंगापानी, चरचा के पुनर्वास हेतु विशेष राहत पैकेज के तहत 10,000 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाय।"

डॉ.विनय जायसवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सौरभ सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य-सूची में सम्मिलित अशासकीय संकल्प पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

श्रीमती अंबिका सिंहदेव, श्री गुलाब कमरो,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

3. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी का गठन किया जाय।"

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, कुंवर सिंह निषाद, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, विकास उपाध्याय, रामकुमार यादव,

श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

सायं 06.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 2 दिसंबर, 2019 (अग्रहायण-11, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा